न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

प्रकरण 2/46/2022 तारीख रजू...........................

कैला वगैरा **बनाम** बैनी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1113, 1114 वाके ग्र्रम कठूमर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तों दिनांक 14.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे।अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 14.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
14/3/22	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। स्थगन आदेश दिनांक 23.2.22 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रजि0 ऐडी दिनांक 24/5/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी	
24.5.22	वकील प्रार्थी .... उपस्थित। स्थगन आदेश दिनांक 23.2.22 की पालना में पत्रा. वास्ते तलबी रजि0 ऐडी दिनांक 26/7/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अह... की ...
	26/7/22 मुताबिक रजिस्ट्रेशन नं०/P.C. बाबत स्थानान्तरण ... कार्यवाही दिनांक 29/7/22 को पेश हो।	
17/8/22	पत्रावली आज मुलतवी के साथ नजदीक तारीख पेशी के प्रार्थना पत्र मय तलब होकर पेश हुई वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हुक्म जारी हुआ। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली दिनांक 24/8/22 को पेश हो। SDM	
24/8/22	वकील ... अनुपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 17/8/22 श्री पासन में पत्रा श्री बाबत जवाब अन्तिम मौका दिनांक 29/8/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
29/8/22	वकील पक्षकार उपस्थित। गैर सायलान की ओर से श्री सुभाषचन्द्र एडवोकेट ने जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस TI दिनांक 9/9/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9/9/22	वकील उभय पत्रावली पर बहस वकील सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/9/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
23/9/22	वकील उभय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ... साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली पर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर प्रा० मि० किया पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल ... बाद तकमील मुल ... के साथ दाखिल रेकर्ड हो। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/46/2022

वउनवान

1. कैला वेवा समयसिंह जाति जाटव निवासी कठूमर
2. सुरेन्द्र पुत्र समयसिंह जाति जाटव निवासी कठूमर
3. विष्णू पुत्र समयसिंह जाति जाटव निवासी कठूमर
4. हजारी पुत्र नारायण जाति जाटव निवासी कठूमर
5. राजवीर पुत्र नारायण जाति ज़ाटव निवासी कठूमर
   तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. वैनी पुत्र मु0 कुन्दन जाति जाटव निवासी कठूमर
2. भगवत पुत्र बैनी जाति जाटव निवासी कठूमर
3. मोहन पुत्र बैनी जाति जाटव निवासी कठूमर
4. बासुदेव पुत्र बैनी जाति जाटव निवासी कठूमर
   तहसीलं कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

श्री रामजीलाल भार्मा

श्री मानसिह चौधरी – अधिवक्तागणसायलान की ओर से

श्री सुभाशचन्द 'अर्रुवा'– अधिवक्ता गैरसायलान

आदेश

दिनांक 23.09..2022

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायलानद्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1113 रकवा 0.52 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है इस आराजी के तरफ उत्तर में गैरसायलान का खेत है। खसरा नम्बर 1113 सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर सायलान काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में सायलान द्वारा बोई गई सरसों की फसल खडी है उकत आराजी को सायलान ही जोते बोते व फसल काटते समेटते है। जिस आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है जो आये दिन सायलान के कब्जे काश्त तथा खेत जोतने बोने फसल काटने समेटने में बाधा व व्यवधान पैदा करते है। सायलान को विवादित आराजी से जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1113 की आराजी के तरफ दक्षिणी हिस्से में की जमीन को दवाकर खसरा नम्बर 1114 की विना पैमाइस कराये दक्षिणी हिस्से में जे सी वी से नींव खुदवाकर जवरन कच्चा पक्का निर्माण करना चाहते है। दिनांक 22.02.2022 को गैरसायलान जे सी वी लेकर विवादित आराजी में घुस आये तथा विवादित आराजी में नाप तोल कर जे सी वी से नींव खोदने को तैयार हो गये। मना करने पर नहीं मान रहे है. जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगेदीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलानअपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर सायलान के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुये अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि गैरसायलान अपने प्रार्थना पत्र की आंड में गैरसायल सं0 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1114 पर जवरन कब्जा करने की कोशिश में है। मौके पर मुताविक डौल व पैमाइस दिनांक 07.06.2019 के हिसाव से नींव खुदी हुई है जो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

वर्शात के कारण कुछ भर गई है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1113 व 1114 की पैमाइस दिनांक 07.06.2019 व दिनांक 10.11.2021 के मुताविक खसरा नम्बर 1113 की कोई जमीन खसरा नम्बर 1114 में दबी हुई नहीं पाई गई। नींव खसरा नम्बर 1114 में खुदी हुई है। सायलान ने प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पे ा नहीं किया है बल्कि तथ्यों को छुपाकर पेश किया है।झूँठे प्रार्थाना पत्र की आड में सायलान गैरसायलान की आराजी पर कब्जा करना चाहते है।सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलानने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्यप्रतिलिपी नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 1113, 1114व नक्शा ट्रेस वाके ग्राम कठूमर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्तागण पक्षकारान की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है इसके संटवा ही गैरसायलान की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1114 है। गैरसायलान जवरन विवादित आराजी की दक्षिणी हिस्से को दवाकर अपने खेत खसरा नम्बर 1114 में मिलाकर पुख्ता निर्माण कर कब्जा करना चाहते है तथा विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करना चाहते है व कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अधिवक्ता सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान सायलान द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र हम गैरसायलान के विरूद्व सही तथ्यों को छुपाकर हमें तंग व परे ान करने की नियत से पेश किया है। खसरा नम्बर 07.06.2019 व दिनांक 10.11.2021के मुताविक खसरा नम्बर 1113 की कोई जमीन खसरा नम्बर 1114 में दबी हुई नहीं पाई गई मौका पर्चा के अनुसार गैरसायलान की नींव खसरा नम्बर 1114 में खुदी हुई है। गैरसायलान ने सायलान की दक्षिणी हिस्से की भूमि नहीं दबाई है। सायलान ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलानद्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता सायलान की वहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन से यह सही है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1113 ग्राम कठूमर सायलान की खातेदारी में दर्ज है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा से यह भी सही है कि खसरा नम्बर 1113 के तरफ दक्षिण में खसरा नम्बर 1114 है जो गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायलान का विवाद खसरा नम्बर 1113 के तरफ दक्षिण में गैरसायलान द्वारा विवादित आराजी की दक्षिण के हिस्सा की जमीन को दवाकर खसरा नम्बर 1114 की भूमि में मिलाकर नींव खोद कर निर्माण करने का है। गैरसायलान ने इस कथन को गलत बताया व अपने समर्थन में मौका पर्चा दिनांक 11.12.2021 की छाया प्रति पे ा की जिसमें मौके पर खुदी हुई नींव खसरा नम्बर 1114 में होना बताया व मौका पर्चा दिनांक 07.06.2019 की छाया प्रति पेश की जिसमें मुताविक पूर्ववत खसरा नम्बर 1114 व 1113 के मध्य डौल सही पाई गई जाहिर किया है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को प्रथम दृश्टया सावित करने के लिये ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज अथवा पैमाइस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह माना जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1113 की दक्षिणी हिस्से की कोई जमीन दवाकर गैरसायलान ने नींव खोद कर खसरा नम्बर 1114 में मिलाया हो। सायलान को किसी तरह का नुकशान क्षति अथवा किसी तरह की हानि होती हो इस तरह का सायलान ने अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

मुताविक मौका पर्चा खसरा नम्बर 1113–1114 के मध्य की डौल मौके पर सही है। गैरसायलान ने विवादित आराजी की दक्षिणी हिस्सा की भूमि पर नींव खोद कर अपनी आराजी खसरा नम्बर 1114 में मिलाना नहीं पाया गया है। सायलान को किसी तरह का नुकशान क्षति अथवा किसी तरह का नुकशाान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो उन्हें अपार हानि व क्षति होना संभव है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 23.02.2022 निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 23.09.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)